An International, Registered & Referred Monthly Journal : Sociology
Since March 2002
Research Link - 154, Vol - XV (11), January - 2017, Page No. 75-77
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

Changes Brought in The Status of Women with The Implementation of Constitutional Reforms in The Panchayati Raj Institution : A Socio-Political Study of Hamirpur Distt. of Himachal Pradesh

For the last few decades, the concept of empowerment has come to occupy a key place in almost all the countries, both developed and developing. The Himachal Pradesh government passed amendment to the Panchayat law introducing one third reservations for women, including Schedule Caste/Schedule Tribe Women, at all three tiers of the panchayati raj system. In this research paper, we are trying to showcase the impact of power in the life of women and Changes brought in the Status of SC women with the implementation of constitutional reforms in the Panchayati Raj Institution.

SURESH CHAUDHARY

Introduction :

Women constitute about half of the population of any country, but their involvement in politics is insignificant as compared to that of men. A democratic country cannot progress if energies of half of its population are concentrated in the kitchen only.1 To understand the status of women in the society an examination of their Socio-political status is necessary. As the political status is interlinked with the socio- economic status, it has the capacity to influence transformation of the socio-economic system of the country. It has now been accepted that women's right to vote and to occupy position in society is fundamental to women's status. Panchayati Raj is identified as a democratic decentralization, it means democracy at the grass root level.3 The community development programmes launched on October 2, 1952 provided an opportunity to involve the rural people in the development process. The main purpose of decentralization is to bring accountability in governance ensuring economic and social justice.2 Himachal Pradesh enacted a new Panchayati Raj Legislation, the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act 1994 in conformity with the provision of the constitution 73rd Amendment Act 1992.

The Government of Himachal Pradesh has further amended 73rd Amendment act and the special provision of 50 percent reservation for women has recorded a remarkable in the history of Panchayati Raj System in Himachal Pradesh. After the 27th August 2008 the Central Government also passed a bill on 50 percent reservation for women in Panchayati Raj Institutions. This will definitely help in empowering women and help in creating sensitivity to women related development issues.3

Himachal Pradesh Panchayati Raj Act 1994 provides that not less than one third of the officers of the chairperson and members in the Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad shall be reserved for women. The position of women in the fourth general election to PRIs was held in Himachal Pradesh during December, 2010 and January 2011 and present office bearers started functioning w.e.f. 23rd January, 2011, and its five years term will we expire on 22nd January 2016. During 2010-11 election, there was total 3243 Gram Panchayats. In all these Gram Panchayats 19413 wards members were elected and 11317 members were from women segment. The percentage of women wards members in Lahaul Spiti district was highest whereas their percentage was lowest in Bilaspur district. For 3243 Gram Panchayats Pradhan, 1639 Panchayats were headed by women segment in the state of Himachal Pradesh during 2010-2011 tenure which was 50.54 percent. In Kangra district 384 Panchayats were headed by women whereas in Lahaul Spiti in 21 Panchayats, the Pradhans were amongst the women. The district wise detail of reservation of seats to women for Panchayat Pradhan during 4th elections to PRIs has been appended as follows (See Table 1).

The second tier in Panchayati Raj Institutions there were 1682 total members, for the total 77 Panchayat Samiti, out of which 863 members were women. The number of women representatives in increasing as it is evident by analyzing four consecutive elections.

Statement of the Problem :

Participation of women in Panchayati Raj bodies enable them to emerge as effective leaders and also to act

Assistant Professor - Guest Faculty (Department of Sociology), H.P. U ILS, AVALODGE, Chaura Maidan, Shimla (Himachal Pradesh)

Table 1: Number of Seats Reserved for Women Representatives in Panchayats, Pradhan Gram Panchayat (Term 2011-2016)

Sr. No	Name District	Reservation of Seats for Women						%age
		Total seats	SC women	ST women	OBC Women	General Women	Total women	
1	Bilaspur	151	20	0	5	51	76	**50.33**
2	Chamba	283	27	46	3	67	193	**50.53**
3	**Hamirpur**	**229**	**29**	**0**	**11**	**75**	**115**	**50.22**
4	Kangra	760	85	0	58	241	384	**50.53**
5	Kinnaur	65	0	33	0	0	33	**50.70**
6	Kullu	204	31	2	0	69	102	**50.00**
7	L & Spiti	41	0	21	0	0	21	**51.22**
8	Mandi	473	72	0	9	157	240	**50.74**
9	Shimla	363	55	0	5	124	184	**50.69**
10	Sirmour	228	39	2	9	63	115	**50.44**
11	Solan	211	35	0	4	67	107	**50.71**
12	Una	235	28	0	15	73	119	**50.64**
	Total	**3243**	**421**	**104**	**109**	**987**	**1639**	**50.54**

Source : Himachal Pradesh Panchayati Raj Department of Shimla.

as catalytic agents by inspiring confidence and providing stimulus for social changes among rural women. Representation of women in Panchayati Raj bodies will enable women to take part in the public life, interact with different sections of population, develop personal and higher level relations without the consideration of traditional barriers. This will enable them to achieve full and equal partnership in development as well as to work for establishment of the more equitable, healthy and prosperous society besides improving their developmental and political perceptions. If more women take part in political and development activities only then their participation will improve considerably. The various studies relating to women participation reveal that women are facing various problems in the discharge of their duties. In the male dominated and custom ridden society, illiteracy and backwardness in the social sphere have affected the women's role in the grassroots institutions. It is hoped that this would change the very plight of rural women and will improve their status and position in the society.

Review of Literature :

Since the Panchayati Raj Movement began, a number of studies have been made. Published and unpublished material on Panchayati Raj Institutions.

Dutta (2001) has discussed about regarding participation of women in panchayats. Nearly 70 percent of the women live below the poverty line. Most of them are illiterate. After 1975 the question of women's participation in politics began to gain importance. The 73rd constitutional Amendment has indicated a noticeable shift in the approach of the Indian state towards women. This Amendment provides for reservation not less than one third of the seats for women schedule caste and schedule tribe women in all bodies.

Dhaka and Dhaka (2004) in their study conducted in Haryana regarding SC women's participation in Panchayati Raj Institution suggested that many SC women are not even aware of their role and responsibilities in Panchayati Raj Institutions while others do not assert themselves due to social inhibitions and disabilities.

Buch (2010) in her study then author has discussed that the challenge now is to redefine tools in the light of sixty years experience and lessons learnt and to address the critical issues of women and girls in population groups who have not able to reach so far.

Gochhayal (2012) his article has discussed that 73rd constitutional Amendment was made in the hope that it would lead to better governance and provide political space to the disadvantaged sections of the society like SCs, STs, and women. The present study was an effort to know the extent of political participation of women in functioning as well as in the electoral process of the panchayats and the problems faced by them.

Objectives of The Study :

(1) To study women's participation in Panchayati Raj Instiution.

(2) To change the status of SC Women in the participation of Panhayati raj institutions.

Area of Study :

The district Hamirpur is situated between $76^{0}18'$ to $76^{0}44'$ east longitude and $31^{0}52'30''$ north latitude. According to the 2011 census, the total population of district is 4,54,293 persons, out of which 2,16,742 are males and 2,37,551 are females, and sex ratio for 1096 females per 1000 males. The male literacy rate is 95.28 percent and female literacy rate 83.44 percent. District Hamirpur consist of total six development blocks viz. Barsar, Bhoranj, Bijdi, Hamirpur, Nadaun and Sujanpur.

Research Methodology :

This study is based on empirical and analytical methods. The approach to conduct the present study is interdisciplinary. Historical, descriptive, comparative and analytical methods have been applied.

Sampling :

The purposive representatives sampling of respondents has been taken into consideration for this study which has been conducted in, four village Panchayats one districts. Total 50 elected female respondents have been interviewed. In these 50 female respondents from both reserved and open categories have been taken. To ensure the nature of purposive representative sampling, special attention has been given to wide representation of women with variables like age, caste, education, income, family background and political participation etc. so that the sample may constitute

elected female representatives and general public (members of Gram Sabha) from varied socio-economic and political backgrounds.

Primary Sources :

The present study relies largely on primary data and wherever necessary the secondary data have been used to supplement the primary data. An attempt has been made to get an insight into the actual working of Panchayati Raj System in specific area through questionnaire. In such cases observation method was applied to collect the information.

Secondary Sources :

Secondary sources for the study include various books, Journals, research studies, surveys, reports of the various commissions and committees and the information gathered from the newspapers which are relevant to the present study.

Tools of Data Analysis :

There are many methods of analyzing the data. In the present study, the processing of data and the preparation of the tables for analysis and interpretation have been done manually.

Conclusion :

Participation of women in political process is an essential input to facilitate empowerment of women and to bring equality between advantaged and disadvantaged groups. With the growth of literature on development and social change the concept of participation of women in political process has assumed enormous importance. The women who belonged to higher castes won the elections of PRI's more easily than those who belonged to the lower castes and they had to face many problems during the elections. In district Hamirpur general category and SCs have a dominating role in the grassroots Institutions. It was found that the majority of women who participate in the grassroots Institutions elections were not very highly educated.

The study revealed that income is also an important Indicator of social status. People with better economic status yielded good influence on the rural politics. The economic status in the society bestows the right to be elected in panchayats. It was observed during the study that reservation for women is a positive step. Now many women are coming forward with the help of quota and they are gaining confidence. This indicates that reservation system has very good effect on women confidence. And they get more chances to perform well. The main reason behind this was that they had no proper education. The role of caste, illiteracy, corruption, nepotism etc. challenges faced by women in the Panchayati Raj Institutions after being elected. It was observed that the women of higher castes captured powers in different moulds in comparison to those of lower castes in both the districts. It was found that the political participation of women was not possible unless and until there was their economic empowerment.

References :

(1) *Nandal. Vikash,.(2013) ''Participation of Women in Panchayati Raj Institutions: A Sociological Study of Haryana: India,'' International Journal of Social Science, Vol. 2. No. 12, December p. 47.*

(2) *Singh. Raj. (2000), New Panchayati Raj: A Functional Analysis, Anmol Publication, New Delhi, pp. 17-18.*

(3) *Study of EWRs in Panchayati Raj Institutions, Based on a Nation Wide Survey by AC Nielsen ORG-MARG, Ministry of Panchayati Raj, Government of India, 2008, p. 3.*

(4) *Buch. Nirmala, (2001) "Panchayats and Women," Kurukshetra, Vol. 49, No. 7, April.*

(5) *Dutta. Prabhat, (2001) "Women in Panchayats," Kurukshetra, Vol. 50, No. 2, December.*

(6) *Mathew. P.M., (2004) "Panchayati Raj and Rural Governance Who Cares for Economics," Economic and Political Weekly, Vol. XXXIX, No. 14, April.*

(7) *Dhaka. Rajvir S. and Dhaka, Sunita (2004) "Women in Grass Root Democracy in Harayana: A Case Study of SC Women," Kurukshetra vol. 52, No. 5, March.*

(8) *Buch. Nirmala., (2010) "Indian Women and the Journey of Six Decades," Yojana, Vol. No. 54, January.*

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Sociology
Research Link - 154, Vol - XV (11), January - 2017, Page No. 78-79
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

Drugs Tends to Juvenile offenders

Analysis is done on drug addict juvenile offender of Durg district of Chhattisgarh.It isconcluded that they take all type of drug according to their need and requirement,they are not bound to take single drug. They are habitual for taking many drugs fulfilling their purpose like taking drug to release their mental tension accrued due to their family problems and some become drug addict because of failure in their academic carrier. Maximum juvenile offender become habitual drug addict for enjoyment purpose with their friends, others take to carry out their criminal activities like rape, loot pat,sexual activities etc. If their drug activities are not stopped in their early age of life then they will becomecriminal in coming years.

BINOD KUMAR* & DR. SMT. ASHWINI MAHAJAN**

Introduction :

Drug addict nature of juvenile offender is major social problem of modern world today especially in India.Earlier it was a circumference but its area of impact was less and it was limited to a particular area only.Today it has become too wide. In past juvenile offender were also taking drug but in a limited way. Their involvement in it was not too much and theywere wanted to get rid of it as early as possible.Today juvenile offender are taking all types of drug and theirinvolvement in drug activities is increasing rapidly day to day.It has block the mind of juvenile offender ,its impactis too intense that it has decreases their thinking power,working capacities, difference between wrong and right could not be judge by them.Drugs trends in them has become so much powerfully thatthey haveinvolved themselves inserious criminal activities they is no hesitation in their mind for doing criminal activities, they have become depended on it There is no sign of improvement in them.

Review of related literature :

(1) Defrancosco (1996) Make his study on 113 delinquent youth in a state detention facility and found that 82% delinquent were heavy users of alcohol and other drugs,14%were regular user more than 2 times weekly and 4% report occasional users.

(2) Jeremy pilchard, Jason payne (2005) The majority of juvenile in his study (88%) has engaged in drug related offending although more juvenile reported buying drugs 85%,then selling 55%.

(3)Tarani phatak (2005) she concluded that bad social and family back ground promote juvenile delinquent towards drugs.

Hypothesis :

(1) Reasons for taking drugsby drug addict juvenile offender.

(2) Drug addict juvenile offender isattracted more towards drugs.

(3) Different types of drugs usually taken by drug addict juvenile offender.

Methodology : Lottery system of random method is used for data collection from drug addict juvenile offender, 30 juvenile delinquent were selected as sample from 60 juvenile delinquent having age group in between 10 to 18 years both residing in Durg care home, rural and urban area of Durg district. of Chhattisgarh state.

Procedure (1) A set of 30 questions related to hypothesis were asked through interview schedule method from drugs tendsjuvenile offender having age in between 10 to 18years .It is analysis that15 Juvenile offender were taking drugs for enjoyment purpose, 6 were taking drugs for failure in academic carrier, 9 were using for releasing mental tension accrued due to family problem.

Table 1.1 : Respondent reasons for taking drugs

S. No.	Respondent response for drugs	Freq.	%
1.	Enjoyment purpose	15	50%
2.	Failure in their academiccarrier	6	20%
3.	Release mental tension	9	30%
	Total	**30**	**100%**

Result : (1) It is analyzed in graph that50% juvenile offender had becomedrug addict for enjoyment purpose. **(2)** 20% juvenile offender taking drugs because of failure

**Research Scholar (Department of Sociology), Govt. V.Y.T.P.G. Govt. Auto. College, Durg (Chhattisgarh)*
***Research Guide & Professor (Department of Sociology), Govt. V.Y.T.P.G. Govt. Auto. College, Durg (Chhattisgarh)*

Graph
Respondent reasons for taking drugs

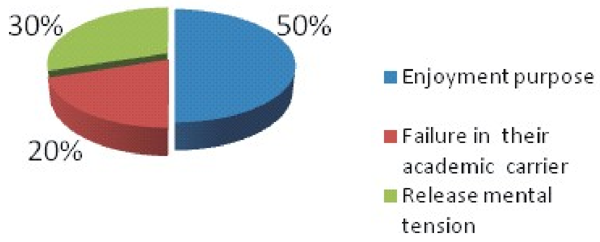

in theircarrierespecially in their schooling. **(3)** 30% juvenile delinquent taking drugs to release mental tension accrued due to family problem.

Discussion : Parents should keep eye on their juvenile offender when they are celebrating partyand taking drugs forEnjoyment purposes. After doing crime juvenile offender should thing in right way for their carrier. Juvenile offender should not involve much in family problem; leave it to their parents to solve it.

(2) Small children learns a lot from their social surrounding and its atmosphere, all changes accrued in their life because of it only if their nearby surrounding is bad they adapted itIt is concluded that 18 drug Juvenile offender said that they were attracted towards drugs because for carrying out criminal activities 10.5 because of their addictparents,4.5 wants to know the taste of drugs.

Table 2.1 : Respondentattraction towards drugs

S. No.	Attraction of respondent towards drugs	Freq.	%
1.	For carrying out criminal activities	15	50%
2.	Due to their drug addict parents	6	20%
3.	To know the taste of drugs	9	30%
	Total	30	100%

Graph : Respondent Attraction Towards Drugs

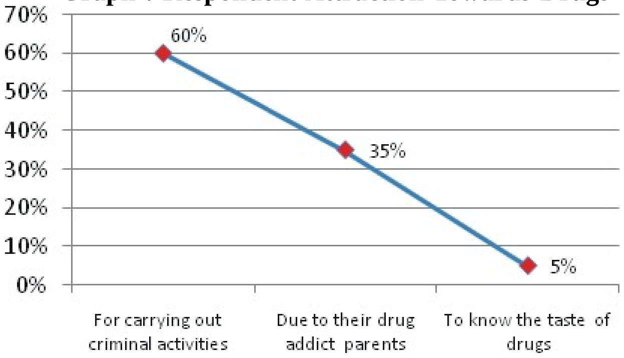

Result : Table shows that 60% juvenile offender are drug addict for carrying out their criminal activities, 35% are attracted towards drugs because of their drug addict parents, 5%wants to know the taste of drug.

Discussion : Juvenile Delinquent should stop taking drugs for criminal activities.so that they may improve for himself. If parents are habitual for taking drugs. They should avoid to take in front of their Juvenile Delinquent. Juvenile Delinquent should avoid to know the taste of drug, so that he/she not diverted towards drugs.

(3) 24 respondent says that were taking gut take ,21 were going for smoking (bide &cigarette),18 is using tobacco, 27 were taking alcohol, 12 were taking ganja, 9 were taking bhang, 11 uses salutation, 6 were prefer medicated drugs like benadle & fancydel , 3 were taking hafem& chars, 18 takes all type of drugs.

Table 3.1 : Drugs classification of respondent

S. No.	Respondent reply	Freq.	%
1.	Gut take	24	80%
2.	Smoking (bide& cigarette)	21	70%
3.	Tab coo	18	60%
4.	Alcohol	27	90%
5.	Ganja	12	36%
6.	Bhang	09	30%
7.	Salutation	11	33%
8.	Medicated drugs	06	20%
9.	Hafem ,chars ,	03	10%
10.	All types of drugs	18	60%

Result : Table indicates that maximum 90% juvenile offender are more habitual for taking alcohol, 80%are interested more towards gutake,70% are going more towards smoking, 60% tabco, 36% gange, 33% salutation, 30% bhange, 20% medicated drugs, 10% hafem & chars 60% juvenile offender are taking all types of drugs.

Discussion : Respondent take all above mention drugs,it is analyzed that they cannot leave without it they are habitual for it ,their their mind cannot work without it at any respect all their thinking power were lost, they wants it at regular interval of time so, they are so much involve in it that their physical structure has changed, mentally they are not fit. Also not fit to do any physical and lab our work.

Conclusion :

(1) All juvenile offender are drug addict ,they take drug according to their choice. **(2)** Maximum juvenile offender are habitual drug addict. **(3)** They cannot leave without drug. **(4)** Drug addict juvenile offender take maximum alcohol, gut take, bide & cigarette.

Suggestion :

(1) Parents should tell side effect of drug to their drug addict juvenile offender.

(2) Parents should not take any type of drug in front of their juvenile offender.

(3) Parents should motivate their children towards educationin spite of their failure in their academic carrier.

References :

*(1) De,Francasco,(1996).??Juvenile delinquency and substance abuse", https//www.ncjrs.gov/html/ojjdp/jjbul9712-1/ substan html **(2)** Pilchard,jeremy. Payne,Jason (2005). ??Alcohol, drugs and crime:a study of Juvenile in detention", Australian institute of criminology. **(3)** Phatak,Tarani. (2005). ??Drugs abuse and Juvenile delinquency", Ph.D. thesis Guhati.*

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Sociology**
Research Link - 154, Vol - XV (11), January - 2017, Page No. 80-82
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

कुपोषित बालकों की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन (उत्तराखण्ड की विकासखण्ड रामनगर के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में कुपोषित बालकों की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन, रामनगर विकासखण्ड, नैनीताल के विशेष संदर्भ में किया गया है। आज के बच्चे ही कल युवा होंगे और राष्ट्र की प्रगति व संरक्षण का दायित्व उनके कंधों पर होगा। ऐसे में आवश्यक है कि वे शारीरिक, मानसिक स्तर पर स्वस्थ व मज़बूत हों। बच्चों को शारीरिक, मानसिक स्वस्थ व मज़बूत रखने के लिए बुनियादी आवश्यकता यह है कि गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर तकरीबन तीन-चार वर्ष तक उनके पोषण व चिकित्सा का समुचित ध्यान रखा जाए। इस समय अगर उनके खान-पान आदि के प्रति जरा भी लापरवाही हुई तो वे कुपोषण की चपेट में चले जाते हैं। कुपोषण की समस्या आज इतना विकराल रुप ले चुकी है कि विश्व बैंक ने इसकी तुलना 'ब्लैक डेथ' नामक महामारी से की है, जिसने 18 वीं सदी में एक बड़ी जनसंख्या को नष्ट कर दिया था। आज आवश्यकता है कि भावी पीढ़ी को कुपोषण के विरुद्ध जागरुक किया जाए एवं भारत के भविष्य को बचाया जाए।

डॉ.विद्या राय* एवं नाज़िया बानो**

शरीर के लिए आवश्यक सन्तुलित आहार लम्बे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कुपोषण प्रायः पर्याप्त सन्तुलित आहार के अभाव में होता है। बच्चो और स्त्रियों के अधिकांशतः रोगों की जड़ में कुपोषण ही होता है। स्त्रियों में रक्ताल्पता या घेंघा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी और यहाँ तक की अघत्व भी कुपोषण के दुष्परिणाम हैं। इसके अलावा ऐसे पचासो रोग हैं, जिनका कारण अपर्याप्त एवं असन्तुलित भोजन होता है।

कुपोषण एक ऐसी स्थिति है, जो लम्बे समय तक पोषणयुक्त आहार न मिल पाने के कारण पैदा होती है। कुपोषित बच्चों की रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर होती है। ऐसे बच्चे अकसर बीमार रहते हैं। कुपोषण जैसी समस्या का सबसे बड़ा कारण गरीबी एवं अज्ञानता है। बच्चे को चॉकलेट, बिस्किट आदि देकर उसका मन बहलाया जा सकता है, लेकिन उन्हें पोषक आहार देना अति आवश्यक है। शरीर को पर्याप्त पोषण न मिल पाने से कुपोषण की स्थिति बन जाती है जिससे शरीर के ज़रूरी आर्गन ठीक तरीके से काम नहीं करते और बीमारियाँ होने लगती है। बच्चों का पेट भरा होने का मतलब यह नहीं कि उन्हें पूरा पोषण मिल रहा है। बच्चों के खाने में प्रोटीन, काब्रोहाइड्रेड, विटामिन्स मिनरल्स जैसे पोषक तत्व होने चाहिए, क्योंकि इन पोषण तत्वों की कमी से ही कुपोषण होता है।

भारत में 5 साल से कम उम्र के करीब 10 लाख बच्चे हर साल कुपोषण के कारण मर जाते हैं। इतना ही नहीं कुपोषण के मामले में भारत दक्षिण एशिया का अग्रणी देश बन गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की तीसरी रिपोर्ट के अनुसार 40 प्रतिशत बच्चे ग्रोथ की समस्या के शिकार हैं, 60 फीसदी बच्चे कम वज़न के शिकार हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद भारत भले ही बड़े पैमाने में अग्रसर हुआ है। अभी भी भूखमरी एवं कुपोषण से पीड़ित है। राष्ट्रीय पोषण ब्यूरो (NNBM) के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 833 लाख पिछड़े ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं, जहाँ लोग ज़रूरत से कम पोषक तत्वों का उपभोग कर रहे हैं और भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। 1975–1979 की तुलना में एक ग्रामीण भारतीय अब औसतन 550 कम कैलोरी की खपत करता है और 13 मिलीग्राम प्रोटीन, 5 मिलीग्राम लोहा, 250 मिलीग्राम कैल्शियम और करीब 500 मिलीग्राम विटामिन ए कम पाया गया। तीन वर्ष के बच्चे 300 मिलीलीटर दूध प्रतिदिन उपभोग करने की अपेक्षा 80. मिलीलीटर दूध का उपभोग कर रहे हैं। 2014 में आजीविका ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षण में गरीब इलाकों में 500 माताओं का अध्ययन किया गया, जिसमें एक हफ़्ते के भीतर किसी ने दाल का सेवन नहीं किया। वहीं 1 में 3 प्रतिशत महिलाएँ साग–सब्ज़ी का उपभोग नहीं कर पा रही हैं। आधी से ज़्यादा माताएँ व 3 साल से नीचे के बच्चे कुपोषित हैं। ये आकड़े प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इण्डिया और कोशल भारत कार्यक्रमों के लिए एक उलझन दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ़) के अनुसार पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या सामान्य से कम 29.5 फीसदी हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005–06 में ऐसे ही बच्चों की

**समाजशास्त्र विभाग, रा.स्ना.महाविद्यालय, रामनगर (उत्तराखण्ड)*
***शोध छात्रा (समाजशास्त्र विभाग), रा.स्ना.महाविद्यालय, रामनगर (उत्तराखण्ड)*

संख्या 43.5 फीसदी, 2013–14 में ऐसे बच्चों की संख्या 38.7 फीसदी देखी गई, 1999–2000 में कमज़ोर बच्चों की संख्या 19. 7 फीसदी दर्ज है।

अध्ययन के उद्देश्य :

(1) कुपोषित बच्चों की आयु के आधार पर अध्ययन करना।

(2) कुपोषण के कारणों को जानना।

(3) कुपोषित बच्चों के सन्तुलित आहार की कमी का अध्ययन करना।

(4) कुपोषित बच्चों के परिवार के रोज़गार की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध प्रचना :

प्रस्तुत शोध वर्णानात्मक शोध प्रचना पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र नैनीताल जिले के विकासखण्ड रामनगर पर आधारित है। जिसमें 50 कुपोषित बच्चों के परिवारों का चयन देव निर्दशन की लॉटरी विधि द्वारा किया गया है। प्रस्तुत शोध में तथ्य संकलन हेतु प्राइमरी स्रोत के अन्तर्गत अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची का प्रयोग किया गया, द्वितीयक स्रोतों हेतु पुस्तकों पत्र–पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है।

तालिका 1 : आयु वर्ग के आधार पर कुपोषित बच्चों की संख्या

क्र.स	आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
1	1–3	19	38%
2	4–6	23	46%
3	7–9	08	16%
कुल योग		50	100%

तालिका 1 के अनुसार 4 से 6 वर्ष की आयु के कुपोषित बच्चों की संख्या 46 प्रतिशत है तथा 1 से 3 वर्ष के आयु के कुपोषित बच्चों की संख्या 38 प्रतिशत रही है। परन्तु 7 से 9 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या 10 प्रतिशत है। सबसे अधिक कुपोषित बच्चों की आयु 4 से 6 वर्ष है।

तालिका 2 : कुपोषित बच्चों की पहचान के लक्षण

क्र.	लक्षण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	माँसपेशियों का ढीला होना	06	12%
2	पीले रंग की त्वचा	04	08%
3	बाल रूखे एवं चमक रहित	08	16%
4	शरीर का वज़न कम होना	18	36%
5	हाथ पैर पतले तथा पेट बढ़ा	09	18%
6	आंखों के चारों ओर कालिमा	05	10%
7	कुल योग	50	100%

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि 36 प्रतिशत कुपोषित बच्चों के वज़न में कमी का पाया जाना है, 18 प्रतिशत बच्चों के हाथ पैर पतले तथा पेट बढ़ा होना है, 16 प्रतिशत बच्चों के बाल रूखे तथा चमक रहित पाए गए। 12 प्रतिशत बच्चों की मांसपेशियों में ढीलापल है, 10 प्रतिशत बच्चों की कुपोषित होने की पहचान आंखों के चारों ओर कालिमा का होना है। अध्ययन के दौरान यह लक्षण कुपोषण बच्चों के अन्दर पाए गए हैं।

तालिका 3 : कुपोषण के कारण के सम्बन्ध में

क्र.	कुपोषण के कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षा का होना	13	26%
2	गरीबी	21	42%
3	माता–पिता के समय की अल्पता	10	20%
4	गर्भाशय में लापरवाही	06	12%
5	कुल योग	50	100%

तालिका 3 के अनुसार 42 प्रतिशत बच्चों के कुपोषित होने की वजह गरीबी का होना है, 26 प्रतिशत बच्चों के कुपोषण का कारण अशिक्षा होना है, 20 प्रतिशत बच्चों को माता–पिता के समय की कमी का मिलना है तथा 12 प्रतिशत बच्चे गर्भावस्था से कुपोषित स्थिति में रहे हैं। गर्भावस्था में लापरवाही उनकी कुपोषिता का कारण बनी है।

तालिका 4 : कुपोषित बच्चों के सन्तुलित आहार में होने वाली कमी के सम्बन्ध में

क्र.	आहार में कमी	आवृत्ति	प्रतिशत
1	फलों/सब्ज़ियों के सेवन का कम होना	18	36%
2	चना, दालों का कम उपयोग	09	18%
3	अण्डा मछली के सेवन में कमी	12	24%
4	पर्याप्त दूध का अभाव	11	22%
5	कुल योग	50	100%

तालिका 4 के अनुसार 36 प्रतिशत बच्चों के खानपान में सब्ज़ियों के सेवन की कमी पाई गई, 24 प्रतिशत बच्चे अण्डे मछली का सेवन नहीं कर पाते हैं, 22 प्रतिशत बच्चे पर्याप्त दूध से वंचित हैं तथा 18 प्रतिशत बच्चे दाल एवं चने का सेवन नहीं कर पाते हैं।

तालिका 5 : कुपोषित बच्चों के परिवार के रोज़गार के सम्बन्ध में

क्र.	आय के साधन	आवृत्ति	प्रतिशत
1	दैनिक मज़दूरी	14	28%
2	चाय की दुकान	06	12%
3	सब्ज़ी का ठेला	09	18%
4	जूते चप्पल ठीक करना	10	20%
5	बोझा ढोना तथा मूंगफली बेचना	11	22%
	कुल योग	50	100%

तालिका 5 के अनुसार 28 प्रतिशत बच्चों के परिवार का आय का साधन दैनिक मज़दूरी है, 22 प्रतिशत बच्चों के परिवार के आय का साधन बोझा ढोना तथा मूंगफली बेचना है, 20 प्रतिशत बच्चों के परिवार जूते चप्पल ठीक करता है, 18 प्रतिशत बच्चों के पिता का रोज़गार सब्ज़ी बेचना है तथा 12 प्रतिशत बच्चों के पिता चाय की दुकान कर परिवार का भरण पोषण करते हैं।

कुपोषण के कारण होने वाली बीमारियाँ :

जब शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते तो कई बीमारियों का ख़तरा उत्पन्न हो जाता है, जिनमें एनीमिया, घेंघा रोग, विटामिन

ए एवं डी की कमी, क्वासियोकार और मैरेमस, मोटापा आदि रोगों की समस्या उत्पन्न होती है।

भारतीय संविधान में कहा गया है कि सरकार देश में रहने वाले सभी नागरिकों के उत्थान के लिए कार्य करेगी। उन नागरिकों में सबसे ऊँचा स्थान नन्हें नागरिकों का है। बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याएं हैं जैसे स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा उचित देखभाल आदि। इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास ही बाल कल्याण के अन्तर्गत आता है। बालक दूसरों पर आश्रित रहने वाले समाज का सबसे दुर्बल समूह होता है। उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुपोषण से मुक्ति के लिए जितनी आवश्यकता समुचित पोषण, चिकित्सा व स्वच्छता की है, उतनी ही उससे अधिक ही स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता की भी है। इसके लिए जितना दायित्व सरकार का है, उतना समाज के जागरूक लोगों का भी है। कुपोषण से मुक्ति पाये बिना स्वस्थ भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। भारत के दौरे पर आए विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योग किम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद तमाम बातों के बीच यह महत्वपूर्ण बात कही कि वे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ़ से कुपोषण के खात्मे को लेकर जताई गई प्रतिक्रिया की पूर्ति के लिए भारत को पूर्ण सहयोग देने हेतु तैयार हैं। आज भी भारत में कुपोषित के निवारण के लिए चल रहे कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के मामले में यह स्थिति अत्यधिक दयनीय है।

निष्कर्ष :

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 46 प्रतिशत कुपोषित बच्चों की आयु 4 से 6 वर्ष के मध्य है, 36 प्रतिशत बच्चों में वज़न कमी का होना कुपोषण का लक्षण पाया गया है, 42 प्रतिशत बच्चों में कुपोषण गरीबी के कारणवश उत्पन्न हुआ है, 36 प्रतिशत बच्चे सब्ज़ियों एवं फलों के उपयोग से वंचित रह जाते हैं जिसके कारण उनमें कुपोषण का तीव्र वृद्धि होना है तथा 28 प्रतिशत बच्चों के अभिभावक मज़दूरी कर अपना परिवार का पालन पोषण करता है।

कुपोषण से बचने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, पोषण की जानकारी। नवजात शिशु और छोटे बच्चों को पोषणयुक्त आहार देकर उन्हें भविष्य में होने वाली बहुत सी बीमारियों से बचाया जा सकता है। शिशु के जन्म के बाद पहले दो साल उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे में माँ और परिवार के हर सदस्य को शिशु के पोषण पर ध्यान की नितान्त आवश्यकता है।

समुचित पोषण के साथ–साथ जागरूकता का न होना आदि तमाम कारण ऐसे हैं, जिनसे कुपोषण को बल मिलता है। कुपोषण से मुक्ति के लिए जितनी आवश्यका समुचित पोषण, चिकित्सा व स्वच्छता की है, उससे अधिक आवश्यकता स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता की भी है।

सुझाव :

माता पिता को दूध, अनाज, दाले, फल, हरी सब्ज़ियाँ बच्चों को किसी न किसी रूप में अवश्य देना चाहिए। सही समय पर भोजन की आदत डालें तथा फास्ट फूड पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ :

(1) सिंह, वृन्दा (2012) : ''महिलाओं एवं बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम'', प्रसार शिक्षा, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।

***(2)** अग्रवाल, नीता (2014) : ''बाल विकास'', अग्रवाल पब्लिकेशन, आर्यन प्रिंटर्स, आगरा।*

(3) *Unicef (2006) 'Report Progress for Children A report card on Nutrition" Unicef.*

***(4)** ICDS (2004) : ''आंगनबाड़ी निर्देश पत्रिका'', स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।*

***(5)** बाल स्वास्थ्य पोषण (2006) : ''बाल स्वास्थ्य पोषण माह'' स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।*

***(6)** http://www.jansatta.com/news-update/beams -of-mal-nutrition-in-india/119185/# sthash.de2VERRM.dpuf*

***(7)** शर्मा, नचिकेता (2012) : ''नवजात शिशु में बढ़ता कुपोषण'', onlymyhelath.com.*

☸ ☸

An International, Registered & Referred Monthly Journal : Sociology
Since March 2002
Research Link - 154, Vol - XV (11), January - 2017, Page No. 83-85
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

औद्योगिक संस्थान एन.एम.डी.सी. और स्थानीय मुरिया जनजाति विकास

प्रस्तुत शोधपत्र, औद्योगिक संस्थान एन.एम.डी.सी. और स्थानीय मुरिया जनजाति विकास के अध्ययन से सम्बंधित है। औद्योगिक केन्द्र किसी भी क्षेत्र के विकास की धुरी माना जाता है, इसका प्रमाण भी देश के औद्योगिक केन्द्रों के आसपास निवास करने वाले लोगों में देखा जा सकता है। बस्तर में एन.एम.डी.सी. राष्ट्र के चुनिंदा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से एक है। भारत सरकार के उपक्रम के रुप में एन.एम.डी.सी. ने सन् 1958 से खनन का कार्य प्रारंभ किया तथा विश्व के उच्च कोटि का लौह खनन किया जाता है। इस हेतु एन.एम.डी.सी. को देश के नवरत्न प्रतिष्ठानों में से एक का दर्जा प्राप्त है, जो राष्ट्र को करोड़ों की आय उपलब्ध करा रही है तथा देश के विकास में प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में भी बस्तर को आज भी वैश्विक समाज में जनजातीय, परंपरागत रहन-सहन, अभावग्रस्तता, पिछड़ेपन, नक्सलवाद के केन्द्र के रुप में जाना जाता है। कुंजी शब्द : मुरिया जनजाति विकास, एन.एम.डी.सी. की भूमिका।

श्रीमती ममता रात्रे*, डॉ.(श्रीमती) प्रीति मिश्रा एवं डॉ.एन.कुजूर*****

प्रस्तावना :

एनएमडीसी को भारत की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकार के उपक्रम के रूप में 1958 में शामिल किया गया, यह स्टील भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। लौह अयस्क, तांबा, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, मैग्नेसाइट, हीरा, टिन, टंगस्टन, ग्रेफाइट, समुद्र तट की रेत आदि सहित खनिजों की व्यापक रेंज के अन्वेषण में शामिल स्थापना के बाद से एन.एम.डी.सी. भारत की अकेली सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक है। वर्तमान में 3 पूरी तरह मशीनीकृत खानों अर्थात बैलाडिला जमा–14/11सी, बैलाडिला जमा–5,10/11, छत्तीसगढ़ राज्य में और डोनामलाई लौह अयस्क खदानें कर्नाटक राज्य में है, जिनसे 30 लाख टन उत्पादन होता है। कंपनी को वर्ष 2008 में सार्वजनिक उद्यम विभाग के रूप मे नवरत्न का दर्जा दिया गया है।

एनएमडीसी छत्तीसगढ में बस्तर के घने जंगल जमीन दंडकारण्ड के आसपास फैला हुआ है। बैलाडीला लौह अयस्क की रेंज एक बैल का कूबड टीला स्थानीय बोली में बैलाडिला कहलाती है। इसकी सीमा उच्च ग्रेड के लौह अयस्क के 1200 लाख टन 14 जमा में वितरित होती है। पूरे क्षेत्र में खानों के उदघाटन एनएमडीसी के प्रयास से संभव हुआ। आज, बैलाडिला का नाम अपनी सुपर उच्च ग्रेड के लौह अयस्क की वजह से वि व प्रसिद्वहै। एनएमडीसी वर्तमान मे इसकी बैलाडिला सेक्टर की खानों से लौह अयस्क 20 लाख टन और डोनामलाई क्षेत्र की खदानों से 10 मिलियन टन का उत्पादन होता है। इसकी अपनी उत्कृष्ट रसायन और धातुकर्म गुणों के कारण, बैलाडिला जमा से केलिबरेटेड अयस्क स्पंज लोहा बनाने में लौह अयस्क छर्रो प्रतिस्थापित किया गया है और इसलिए इस्पात –एस्सार स्टील, इस्पात इंडस्ट्रीज और विक्रम की तरह तीन प्रमुख गैस आधारित स्पंज आयरन स्टील उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल बन गया है। इन तीनों के अलावा, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की पूरी आवश्यकता भी बैलाडिला से पूरी की जाती रही है।

बैलाडिला औद्योगिक केन्द्र के आस पास एवं पूरे क्षेत्र में जनजातियों की बड़ी आबादी निवास करती है। यहाँ की प्रमुख जनजाति गोड़ है, जिसके उपजातियां मुरिया, राज मुरिया एवं मुड़ीया प्रमुख है। शोध अध्ययन में एन.एम.डी.सी. द्वारा क्षेत्र एवं वहां निवास करने वाले जनजातियों के विकास के लिए कौन–कौन से प्रयास कर रही है एवं जनजाति इससे कहाँ तक प्रभावित है, ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का उद्वेश्य :

(1) एनएमडीसी द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रयासों का अध्ययन करना। (2) एनएमडीसी द्वारा क्षेत्र के जनजातियों के विकास के लिए क्रियान्वित कार्यक्रमों को ज्ञात करना।

अध्ययन पद्धति :

प्रस्तुत अध्ययन एन.एम.डी.सी. के दो स्तर के दो–दो गाँव के कुल 84 परिवार को अध्ययन हेतु चयन किया गया है। चयनित उत्तरदाताओं में 35–50 वर्ष आयु समूह के उत्तरदाता शामिल है तथा तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची से किया गया है।

अध्ययनगत परिवार के सदस्यों में शिक्षा का स्तर :

एन.एम.डी.सी. के निकटतम और दूर के गाँवों में शिक्षा के

**शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***प्राध्यापक, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
****एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

तालिका क्रमांक 1 : अध्ययनगत परिवार के सदस्यों में शिक्षा का स्तर

क्र	शिक्षा का स्तर	आवगमन से निकट के ग्राम				आवगमन से दूर के ग्राम				योग	
		नेरली		भांसी		बडे बचेली		दुगेली			
		आ.	प्रति.	आ.	प्रति.	आ.	प्रति.	आ.	प्रति.	आ.	प्रति.
1	निरक्षर	31	45.6	56	50.0	43	52.4	37	51.4	167	50.0
2	साक्षर	04	5.8	07	6.3	02	2.4	03	4.2	16	4.8
3.	प्राथमिक	11	16.2	17	15.2	14	17.1	18	25.0	60	18.0
4.	मध्यमिक	10	14.7	12	10.7	08	9.8	03	4.2	33	9.9
5.	हाई स्कूल	03	4.4	10	8.9	10	12.2	07	9.6	30	8.9
6.	हायर सेकण्डरी	08	11.8	07	6.2	05	6.1	02	2.8	22	6.6
7.	स्नातक	01	1.5	03	2.7	—	—	02	2.8	06	1.8
योग		68	100	112	100	82	100	72	100	334	100

विकास में एन.एम.डी.सी. के प्रभाव को देखने का प्रयास किया गया है, संकलित तथ्य का विवरण तालिका 1 में प्रदर्शित है।

तालिका 1 से ज्ञात होता है कि 54.8 प्रतिशत परिवार के उत्तरदाता निरक्षर व साक्षर हैं, 45.2 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित हैं, इनमें 27.9 प्रतिशत प्राथमिक से माध्यमिक स्तर का शिक्षा प्राप्त किए हैं, जबकि केवल 1.8 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त किए हैं, जबकि औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 2008–09 से 2014–15 तक कुल 79,466 विद्यार्थियों को शिक्षा सहयोग योजना से लाभ पहुँचाया है, जिसमें 28.48 करोड़ रूपये वितरण किया है। इसी तरह औद्योगिक संस्थान द्वारा प्रति वर्ष जीव विज्ञान विषय के 40 छात्राओं का चयन चयन कर अपोलो नर्सिंग कॉलेज, हैदराबाद में निःशुल्क नर्सिंग कोर्स हेतु कराया जाता है, अध्ययनगत परिवार के केवल 02 छात्रा को योजना का लाभ मिला है।

उपरोक्त तथ्य इस बात को दर्शाते हैं कि औद्योगिक केन्द्र के अनुरूप मुरिया जनजाति अध्ययनगत परिवार के सदस्यों में शिक्षा का प्रभाव सामान्य मैदानी परिवार से भी कम शिक्षा का स्तर है।

उत्तरदाताओं का व्यवसाय :

कुजूर एवं वर्मा (Impact of Displacement on Tribal Group : A Pilot Survey Report : 2016) ने अपने अध्ययन में जनजाति परिवार के व्यवसाय में विस्थापन के पश्चात् परिवर्तन पाया गया है। उन्होंने बतलाया कि विस्थापन के पूर्व 38.7 परिवार कृषि मूजदूर का व्यवसाय करते थे, गाँव में पुनर्वास के बाद 7.9 प्रतिशत की गिरावट होते हुए केवल 25.8 प्रतिशत परिवार इस व्यवसाय में संलग्न पाए गए। यह तथ्य औद्योगिक विकास के फलस्वरूप जनजाति परिवार के व्यवसाय में हुए सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। औद्योगिकीकरण का प्रभाव व्यापक होता है, इसका प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। शोध अध्ययन में एन.एम.डी.सी. औद्योगिक संस्थान का ग्रामीण परम्परागत व्यवसाय को कहाँ तक प्रभावित किया है, ज्ञात करने का प्रयास किया गया है, प्राप्त तथ्य का विवरण तालिका 2 में प्रदर्शित है।

अध्ययनगत परिवार के सदस्यों के जीविका के साधन संबंधी तालिका 2 से ज्ञात होता है 65.4 प्रतिशत सदस्यों के जीविका के साधन परम्परागत साधनों पर निर्भर है। परम्परागत जीविका के साधनों में कृषि, कृषि मजदूर और वनोपज संग्रहण जैसे साधनों पर निर्भर है। केवल 9.9 प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्हें एन. एम.डी.सी. एवं राज्य सरकार की नौकरी करते हैं। जबकि एन.एम. डी.सी. औद्योगिक संस्थान में वर्ष 2012–15 के प्राप्त आंकड़ों अनुसार कुल 5490 कर्मचारी सेवारत है, इस प्रकार औद्योगिक प्रतिष्ठान से अध्ययनगत गाँव एवं परिवार के मात्र 0.60 प्रतिशत सदस्यों को रोजगार प्रदाय किया है, जो कि मुरिया जनजाति के विकास की दृष्टिकोण नहीं के बराबर लाभ मिलना कहा जा सकता है।

तालिका क्रमांक 2 : उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों का जीविका के साधन

क्र	शिक्षा का स्तर	आवगमन से निकट के ग्राम				आवगमन से दूर के ग्राम				योग	
		नेरली		भांसी		बडे बचेली		दुगेली			
		आ.	प्रति.	आ.	प्रति.	आ.	प्रति.	आ.	प्रति.	आ.	प्रति.
1	कृषि	18	26.5	31	27.7	22	26.8	18	25.0	89	26.6
2	कृषि मजदूर	16	23.5	36	32.1	18	21.9	20	27.8	90	26.9
3.	शासकीय नौकरी	05	7.4	09	8.1	11	13.4	08	11.1	33	9.9
4.	वनोपज संग्रहण	10	14.7	11	9.8	10	12.3	09	12.5	40	11.9
5.	कोई व्यवसाय नहीं	19	27.9	25	22.3	21	25.6	17	23.6	82	24.6
योग		68	100	112	100	82	100	72	100	334	100

औद्योगिक संस्थान द्वारा गाँव में संरचनात्मक विकास के प्रयास :

सामान्यतः जहाँ कहीं औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित की जाती है, वहाँ और आसपास के क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, परिवर्तन होगा ? यह उपकल्पना एवं धारणाएँ होती है। यह कभी–कभी उल्टी पड़ जाती है, अर्थात् उद्योग निरन्तर नई ऊँचाइयों को छूता चला जाता है।

तालिका क्रमांक 3 : औद्योगिक संस्थान द्वारा गाँव में सरचनात्मक विकास के प्रयास

क्र	विकास कार्य	आवगमन से निकट के ग्राम				आवगमन से दूर के ग्राम				योग n=82	
		नेरली		भांसी		बडे बचेली		दुगेली		हाँ	नही
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	आ/प्र	आ./प्र.
1.	स्कूल	17	–	24	02	17	03	17	01	75	07
2.	स्वास्थ्य केन्द	12	05	22	05	13	07	15	03	62	20
3.	स्वच्छ पेयजल	15	02	26	01	11	09	08	10	60	22
4.	शौचालय	08	09	13	14	08	12	07	11	40	42
5.	समुदायिक भवन	13	04	10	17	14	06	16	02	53	29
6.	विद्युत	14	03	20	07	18	02	13	05	65	17
7.	पक्की सड़क	09	08	21	06	12	08	12	06	54	28
8.	तालाब	17	–	24	03	19	01	18	–	78	04
8.	कृषि विकास	06	11	16	11	06	14	07	11	35	47

क्षेत्र के लोग बुनियादी समस्याओं से जुझ रहे होते हैं। शोधपत्र में औद्योगिक प्रष्ठिान से मुरिया जनजाति गाँव में संरचनात्मक सुविधाएँ को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

तालिका 3 से ज्ञात होता है कि स्थानीय जनजाति क्षेत्र में औद्योगिक संस्थान द्वारा विकास कार्य किए गए हैं, किन्तु लगभग तीन दशक से भी अधिक समय गुजरने के उपरांत भी चारों गाँव के कुछ परिवार को आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। जैसे विद्युत सुविधा में 17 परिवारों में आज भी प्रकाश की आधुनिक सुविधा नहीं है। इसी तरह 22 परिवार पेयजल के परम्परागत साधनों से पेयजल प्राप्त करते हैं। शौचालय योजना का जोर–सोर से अभियान चलाया गया है, किन्तु 42 परिवार आज भी खुले व जंगल में शौच करते हैं, जबकि औद्योगिक संस्थान द्वारा वर्ष 2015 में सामाजिक विकास कार्यो में 1661.61 लाख रूपये व्यय करना पाया गया है।

निष्कर्ष :

अध्ययन में प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि एन.एम.डी.सी. औद्योगिक प्रतिष्ठान का जगदलपुर, दन्तेवाड़ा गीदम, बचेली, किरन्दुल के विकास में सहायक रही ही है, आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास कार्य किया है। किन्तु वर्तमान में एन. एम.डी.सी. जिस ऊँचाई को छूने में कामयाब हुई है, इसकी तुलना में बस्तर का ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने सफल नहीं हो पायी है, कुछ गाँव आज भी ऐसे हैं, जहाँ पक्की सड़क, विद्युत, स्वच्छ पेयजल, रोजगार, स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्कूल है, तो उसका भवन नहीं है, इस तरह विकास के विरोधाभास हैं, जिससे औद्योगिक केन्द्र दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा संसाधन की दृष्टि से क्षेत्र सम्पन्न किन्तु लोग गरीब की कहावत बनी रहेगी।

संदर्भ :

(1) *Nister Kujur and Sailendra Verma ; Impact of Displacement on Tribal Group : A Pilot Survey Report, International Journal of Development Research IJDR:2016, Vol. 06, Issue, 09, pp.9532-9536, September, 2016.*

(2) *https://www.nmdc.co.in/introduction.aspx*

❁❁

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Sociology**
Research Link - 154, Vol - XV (11), January - 2017, Page No. 86-88
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

घरेलू हिंसा के नियंत्रण में सरकार की भूमिका (छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव नगर के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में घरेलू हिंसा के नियंत्रण में सरकार की भूमिका का अध्ययन, छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव नगर के विशेष संदर्भ में किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएँ घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून के बारे में जानकार है, परंतु आर्थिक रुप से स्वावलंबी न होने के कारण भविष्य में होने वाली परेशानियों, पारिवारिक प्रतिष्ठा पर आंच आने तथा बच्चों पर होने वाले उसके नकारात्मक प्रभाव के कारण कानूनी सहायता नहीं लेती है। महिलाओं का कहना है कि कानूनी व्यवस्था में सुधार लाने पर ही घरेलू हिंसा को रोकने में कानून सफल हो सकते हैं। साथ ही कुछ महिलाओं का मानना है कि यह एक सामाजिक समस्या है। महिलाओं की स्थिति बदलने के लिए तमाम सरकारी प्रयास तभी कारगर हो सकते हैं, जब समाज की संपूर्ण सोच, व्यवहार और पूर्वाग्रह जैसी धारणाओं में बदलाव आये।

डॉ.प्रीति शर्मा* एवं श्रीमती प्रियंका लोहिया**

आज हम इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। नये–नये अविष्कारों ने लोगों को चकित कर दिया है। आज नारी भी अनेक क्षेत्रों में पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सतही रूप में देखने पर हमें लगता है कि नारी की स्थिति कुछ सुधरी है, लेकिन गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि नारी की स्थिति आज भी वही है, जो कल थी। भारत जैसे देश में हर साल लगभग 30 हजार महिलाएँ दहेज की बलि चढ़ जाती हैं।[1] नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो वर्ष 2011 के अनुसार दहेज मृत्यु जैसे कलंकित अत्याचारों में उ.प्र., बिहार, म.प्र. जैसे राज्य सबसे अव्वल हैं। वहीं मारपीट, गाली–गलौज जैसी घरेलू हिंसा में पं.बंगाल (17.94%), आंध्रप्रदेश (13.49%), राजस्थान (12.32%) क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर है।[2]

वर्तमान समय में दिनोंदिन दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, बलात्कार तथा अन्य घरेलू हिंसा जैसी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, टोनही प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न एवं अन्य प्रकार के अत्याचारों से बचने के लिए अनेक कानून बनाए हैं, फिर भी महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।

घरेलू हिंसा के विरूद्ध सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास :

सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके हितों की देखभाल संरक्षण करने, भेदभाव समाप्त करने, उन पर होने वाले अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु अनेक कानून बनाए हैं, जैसे दहेज रोक अधिनियम 1961, गर्भवती उपचार अधिनियम 1971, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1979, सती कमीशन अधिनियम 1987, घरेलू हिंसा एक्ट 2005, इसके बावजूद भी घरेलू हिंसा रूक नहीं रही।

दहेज प्रतिरोध कानून के अतिरिक्त भारतीय दण्ड विधान में भी दहेज अपराधों की धारा 498 ए.आई.पी.सी., नयी धारा 304 बी आई.पी.सी. बनायी गई है।[3]

सरकार ने घरेलू हिंसा से बचाव के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया है, जो कि एक दीवानी कानून है, इस कानून के अनुसार महिला के साथ हुई घरेलू हिंसा के साक्ष्य प्रमाणित किया जाना जरूरी नहीं है।

सरकार द्वारा महिला बाल विकास विभाग और महिला आयोग को भी घरेलू हिंसा से बचाव हेतु अधिकार दिए गए हैं। जिसमें धारा 313, 323, 325, 354, 363, 366 क, 376 ख, 377, 493, 494–495, 498 क, शामिल है।

अध्ययन का उद्देश्य :

(1) घरेलू हिंसा के कारणों का पता लगाना।
(2) सरकारी कानून की भूमिका ज्ञात करना।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन :

Trauma and Crisis, (2004) : अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 मिलियन महिलाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने घरेलू साथी से दुर्व्यवहार की शिकार है। घरेलू हिंसा एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, जो बताता है कि यह एक चिंता का विषय है। उन्नति और सामाजिक सफलता को जारी रखने के लिए घरेलू उत्पीड़न का मुकाबला करना आवश्यक है।[4]

Grovert, Amanda J (2008) का यह अध्ययन महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर पिछले 30 वर्षो से हो रहे अनुसंधान की समीक्षा पर केन्द्रित है। जो बताता है कि महिलाओं को अपमानजक रिश्तों के भीतर रहना होता है। यह एक गुणात्मक अनुसंधान है, जो बताता है कि घरेलू हिंसा से मुकाबला करने में सामुदायिक संसाधन महिलाओं के लिए उपयोग होते हैं।[5]

**प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शा.दु.ब.म.स्ना.महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***शोधार्थी (समाजशास्त्र विभाग), शा.दु.ब.म.स्ना.महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

Samia Alhabib May (2010) ने यूरोप और उ.अमेरिका में किए गए अपने अध्ययन में घरेलू हिंसा पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन 18 से 65 वर्ष की महिलाओं पर किया गया, जिसमें पाया गया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा कई समाज में महामारी अनुपात तक पहुँच गई है। जिसे समाप्त करने निवारक नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने की आवश्यकता है।[6]

P.Randall Kropp ने **Britsh Columbia** में आधारित अपने अध्ययन में घरेलू हिंसा की समस्या को अच्छी तरह से सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक लागत के संबंध में प्रलेखित किया है। इसमें पाया गया कि घरेलू हिंसा अपराधियों के प्रबंधन के बारे में दुर्लभ सुधार और उपचार के संसाधनों की जरूरत है।[7]

शोध उपकल्पना :

(1) निम्न वर्ग की अपेक्षा मध्यमवर्गीय महिलाएँ मानसिक हिंसा की शिकार ज्यादा होती है।

(2) निम्नवर्गीय महिलाएँ मध्यम एवं उच्च वर्गीय महिलाओं की अपेक्षा शारीरिक एवं आर्थिक प्रताड़ना की शिकार अधिक होती है।

अध्ययन पद्धति :

अध्ययन क्षेत्र : राजनांदगांव शहर के वार्ड नं. 14 (गौरीनगर), वार्ड नं. 34 (लखोली), वार्ड नं. 29 (कैलाश नगर) को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। सन् 2001 से 2014 में राजनांदगांव शहर के विरूद्ध होने वाली आपराधिक घटनाओं को सारणी 1 में दर्शाया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन : शोधार्थी द्वारा राजनांदगांव नगर के वार्ड नं. 14, वार्ड नं. 34,वार्ड नं. 29 को शोधकार्य हेतु चुना गया है। जिसमें आनुपातिक आधार पर क्रमशः 20, 25, 05 उत्तरदाताओं का चयन दैवनिदर्शन द्वारा किया गया। इस प्रकार कुल 50 उत्तरदाताओं को अध्ययन हेतु चुना गया।

अध्ययन के उपकरण एवं स्त्रोत : प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोंतों का प्रयोग किया गया है।

तालिका क्र. 2 : कानूनी सहायता लेने में होने वाली समस्या

क्र.	समस्या	आवृति	प्रतिशत
1	पुलिस की प्रशासन की भूमिका असहयोगात्मक	5	10
2	कानूनी मकड़ जाल में फस जाना	5	10
3	खर्चीली कानूनी प्रक्रिया	5	10
	योग	**15**	**30**

तालिका क्र. 3 : कानून में संशोधन

क्र.	संशोधन	आवृति	प्रतिशत
1	भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु ठोस कानून बने	5	10
2	महिलाओं को कानूनी सहायता मुफ्त दी जाए	5	10
3	महिलाओं के पक्ष में कानूनी व्यवस्था लचीली हो	5	10
	योग	**15**	**30**

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध में घरेलू हिंसा में सरकार की भूमिका जानने हेतु राजनांदगांव शहर की 50 महिलाओं का अध्ययन किया गया है, जिसमें 80 प्रतिशत हिन्दू, 10 प्रतिशत मुस्लिम, 10 प्रतिशत अन्य जाति की महिलाएँ हैं, जिसमें 10% अशिक्षित, 20% 12वीं, तथा 40% स्नानकोत्तर तथा 30% स्नातक है। 70% महिलाएँ 40 से 50 आयु वर्ग की तथा 30% महिलाएँ 30 से 40 आयु वर्ग की है, जिसमें 30% महिलाओं ने नौकरी पेशा होना बताया है।

जिसमें 40% महिलाएँ मानसिक (जिसमें पारिवारिक भेदभाव, ताने मारना, घरेलू कार्य का एक तरफा बोझ होना बताया है), 30% शारीरिक 10%ः आर्थिक तथा 20% महिलाएँ लैंगिक हिंसा की शिकार है, जिसमें 20%ः महिलाओं ने हिंसा का कारण नशा, 26% ने विवाहेतर संबंध तथा 20% ने अशिक्षा तथा 24% महिलाओं ने आर्थिक परावलम्बन को हिंसा का प्रमुख कारण बताया है, जिसमें 60% महिलाएँ पति द्वारा तथा 20% अन्य से पीड़ित है।

अध्ययन के आधार पर यह पाया गया है कि अधिकांश महिलाएँ मानसिक व शारीरिक हिंसा की शिकार है, जिसमें ज्यादातर महिलाओं को उनके पति द्वारा ही प्रताड़ित किया जाता है, जिसका प्रमुख कारण है पुरूषों के विवाहेतर संबंध, उनका नशा करना, महिलाओं की अशिक्षा तथा पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता।

60% महिलाओं का कहना है कि घरेलू हिंसा के विरूद्ध हो रहे सरकारी प्रयासों की उन्हें जानकारी है, जिसमें से 30% महिलाओं ने कानून की सहायता ली है और उनमें से 20% महिलाओं का मानना है कि सरकारी कानून समस्या के समाधान में सहायक नहीं है। 10% महिलाओं का मानना है कि पुलिस प्रशासन की भूमिका सहयोगात्मक नहीं है, वहीं 20% महिलाओं ने क्रमशः कानूनी मकड़ जाल मे फंसने की एवं अत्यन्त खर्चीली प्रक्रिया बताया है। कानूनी सहायता लेने वाली सभी 30% महिलाओं का मानना है कि पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंत हो, महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता मिले उनके पक्ष में कानूनी

सारणी 1 : घरेलू हिंसा की वर्षवार जानकारी शहर राजनांदगांव (छ.ग.)

क्र.	अपराध	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
1	हत्या का प्रयास	2	1	6	3	4	7	4	70	0	3	4	3	**7**
2	आत्महत्या के प्रेरित	9	7	10	15	11	5	11	7	0	5	12	4	**18**
3	दहेज मृत्यु	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	0	**5**
4	दहेज प्रताड़ना	33	41	28	40	25	40	57	57	2	41	20	17	**32**
5	गंभीर चोट	–	–	–	–	–	–	13	2	0	6	2	3	**3**
6	साधारण चोट	21	13	19	17	12	11	8	12	0	4	3	4	**0**
7	गाली गुप्ता	102	130	79	92	66	97	124	157	22	146	3	0	0

संकलन स्त्रोत : एस.पी.ऑफिस। (OM Branch)

व्यवस्था लचीली हो। 20% महिलाओं ने कानून की सहायता न लेने का कारण बच्चों पर उसका गलत प्रभाव पड़ना बताया है, वहीं 26% महिलाओं ने पारिवारिक प्रतिष्ठा को उसका कारण बताया है। 60% महिलाओं का मानना है कि भविष्य में हिंसा को रोकने में कानून सहायक होंगे।

अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात होता है कि अधिकांश महिलाएँ घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून के बारे में जानकार है, परन्तु आर्थिक रूप से स्वावलंबी न होने के कारण भविष्य में होने वाली परेशानियों, पारिवारिक प्रतिष्ठा पर आंच आने तथा बच्चों पर पड़ने वाले उसके नकारात्मक प्रभाव के कारण कानूनी सहायता नहीं लेती है।

महिलाओं का कहना है कि कानूनी व्यवस्था में सुधार लाने पर ही घरेलू हिंसा को रोकने में कानून सफल हो सकते हैं। साथ ही कुछ महिलाओं का मानना है कि यह एक सामाजिक समस्या है। महिलाओं की स्थिति बदलने के लिए तमाम सरकारी प्रयास तभी कारगर हो सकते हैं, जब समाज की संपूर्ण सोच, व्यवहार और पूर्वाग्रह जैसी धारणाओं में बदलाव आए।

उपकल्पना का परीक्षण : शोधार्थी द्वारा उपकल्पना का परीक्षण किया गया और उसे सही पाया गया।

सुझाव :

घरेलू हिंसा के रोकथाम हेतु आवश्यक है कि कानून को कठोरता से लागू किया जाए। साथ ही महिलाओं को शिक्षित किया जाए, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो होंगी ही तथा उन्हें कानूनी जानकारी भी होगी। शिक्षित महिलाएँ रोजगार प्राप्त कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी, जिससे वे अपने साथ होने वाले शोषण के विरूद्ध आवाज उठा पायेंगी।

संदर्भ :

(1) सरिता, मार्च द्वितीय, 2014, पृ. 24.

(2) *प्रेमी, जितेन्द्र कुमार, नागवंशी, बृजेश कुमार एवं प्रेमी, महेन्द्र कुमार : इक्कीसवीं सदी में भारत में महिलाओं के साथ अत्याचार (विवेचना), Int. Res. J.Lab to land Vol-5, No.-17, 2013.*

(3) *जौहरी, डॉ. रचना एवं गुप्ता, डॉ. सुभाषचन्द्र : महिला उत्पीड़न – समस्या के समाधान के प्रयास एवं मूल्यांकन, पृ. 211–215.*

(1) *Trauma and Crisis (2004) : Human Ecology, Social work Program 615 mc calle Ave, Chattanooga.*

(2) *Grovert, Amanda J (2008) : Domestic violence Against women: A Literature Review (Master"s Thesis, Paciffic Univercity).*

(3) *Journal of family violence, May 2010, Volume 25, Issue 4, PP. 369-382. Domestic viloence Against woman : Systematic Review of Prevalence studes samia Alhabib.*

(4) *P. Ranall Kropp : A Reviw of Domestic Violence Risk Instruments, British Columbia Fornsic Psychiatric Sevices Commission.*

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Sociology**
Since March 2002
Research Link - 154, Vol - XV (11), January - 2017, Page No. 89-91
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (कोरबा जिले में स्थित विद्युत संयंत्रों के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में कोरबा जिले में स्थित विद्युत संयंत्रों के विशेष संदर्भ में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। अध्ययन में महिलाओं से वेतन सम्बंधी संतुष्टता, पारिवारिक मामले, परिवार में फैसले लेने की स्वतंत्रता, घर से दूरी, कैंटीन में मिलने वाला भोजन, स्वयं के अधिकार, प्रबंधन व श्रमिकों के मध्य विवाद, प्रदूषण, उपयोग किए जाने वाले मनोरंजन के साधन आदि पर प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों के माध्यम से उनकी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति सम्बंधी निष्कर्ष प्राप्त किए गए।

कु.श्वेता पाण्डेय

''असंगठित क्षेत्र की अवधारणा घाना में कार्यरत ब्रिटिश मानववैज्ञानिक कीथ हार्ट के अध्ययन से निकली है। इसके बाद 1970 के दशक में आई.एल.ओ. ने इस अवधारणा में सम्माननीय कार्य का अवयव समाहित किया और फिर काम के अधिकार, कार्य करने वालों के अधिकार, श्रम संगठनों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार भी इस अवधारणा के साथ संलग्न होते गए। लेकिन कुछ विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि 'असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र' की अवधारणा को सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित रखना ठीक नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर यह अवधारण अपने निहितार्थ में अत्यंत व्यापक है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि असंगठित क्षेत्र तकरीबन पूरी तरह से सामाजिक सुरक्षा की परिधि से बाहर है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपनी आय की अस्थिरता से त्रस्त है और श्रमिकों के रूप में अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित है।''(1)

''2011–12 में संकलित आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया है कि कामकाजी औरतों की संख्या पहले से बढ़ी है, लेकिन कुल श्रम बल में इनका अनुपात कम हो गया है। देश में कुल कामगारों में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी केवल 24 प्रतिशत है। इनमें भी अधिकतर श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है, जहाँ न्यूनतम वेतन, कार्य स्थितियाँ तथा रोजगार की गारंटी जैसी सुविधाओं के बारे में कोई व्यवस्थित तंत्र नहीं है। कृषि के बाद निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक महिला श्रमिक काम करती हैं। लेकिन महिला श्रमिकों के श्रम का मूल्यांकन भेदभाव पूर्ण रहता है, और एक जैसे काम के लिए उन्हें पुरूषों से कम पगार दी जाती है। उन्हें शारीरिक रूप से दुर्बल मानते हुए हल्के काम दिए जाते हैं जिसके आधार पर उन्हें कम पगार देने को सही ठहराने का प्रयास किया जाता है। इस क्षेत्र की एक विडंबना यह है कि सरकार द्वारा श्रम के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण के बावजूद महिला श्रमिकों को शोषण का शिकार होना पड़ता है।''(2)

''भारतीय समाज में नारियों की प्रस्थिति समाज के साथ–साथ उतार–चढ़ावों से गुजरती रही है। हमारी प्राचीन व्यवस्था में नारियों को उच्च स्थिति प्राप्त थी। उन्हें सुख, वैभव, शांति, शक्ति व ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। परंतु धीरे–धीरे नारियों के स्थान में परिर्वतन होता गया। पुरूषों ने नारियों को दुर्बल समझकर उनके अधिकार, कार्य और सीमा पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप एक समय ऐसा भी आया, जब नारियों की सीमा घर की चार–दीवारी तक सीमित रह गई। परिवार में कन्या का जन्म अशुभ माना जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में नारी की प्रस्थिति में काफी सुधार हुआ है। हमारे देश की नारियाँ आज हर क्षेत्र में पुरूषों की बराबरी करने का प्रयास कर रही हैं।''(3)

''भारत की श्रमनीति का आधार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में लोककल्याण की उन्नति राज्य का सर्वोपरि लक्ष्य माना गया है। राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्वों में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का ऐसा संचालन करेगा जिससे श्रमिकों, पुरूषों और स्त्रियों एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग नहीं होगा। भारत में श्रमिकों की उत्पादकता विकसित देशों के श्रमिकों की तुलना में कम है। इसका मुख्य कारण है उनके काम की कठिन दशाएँ, कम वेतनमान, रहन–सहन के स्तर में गिरावट, अशिक्षा, मालिकों द्वारा शोषण, सामाजिक सुरक्षा की कमी।''(4)

''देश में महिलाओं की स्थिति में कोई भारी सकारात्मक फेरबदल आया हो ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। हम अभी नहीं कह सकते हैं कि भेद–भाव खत्म हो गया है। चाहे महिला हो या

शोधछात्रा, शासकीय दू.ब.स्व.महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

पुरूष सभी समाज का हिस्सा हैं। जब देश में जाति प्रथा जैसी कुरीतियाँ अब भी मौजूद हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि लिंगभेद खत्म हो सकता है। महिला अधिकारों के लिए समाज के मूल्यों को भी नये सिरे से आगे बढ़ाना होगा। आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नगरिक मानने की परम्परा खत्म नहीं हुई है। लेकिन हम यह भी नही कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया है। मेहनतकश महिलाओं की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। ऐसी महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पहली सीढ़ी होती है। मेहनतकश महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिले तो वे अपने अधिकारों के प्रति ओर भी मुखर हो सकती हैं।''[5]

''हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में महिला के आर्थिक सशक्तिकरण को वक्त की जरूरत बताया है। न्यायालय ने कहा है कि दुनिया और विशेषकर भारत में अभी भी महिलाएँ कई तरह का लिंग आधारित भेदभाव झेलती हैं और इनका सशक्तिकरण तभी संभव है जब वे आर्थिक रूप से सशक्त बने। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि महिला और पुरूषों की बीच बराबरी लाने के लिए नीतिगत कार्यवाही भी जरूरी है। न्यायालय का यह सुझाव उन परिस्थितियों में बेहद आवश्यक है जब श्रमशक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो रही है।''[6]

भारत की आर्थिक स्थिति आज भी अपनी विकासशील अवस्था में आज भी देश की स्थिति को सुदृढ़ नहीं कहा जा सकता। अर्थव्यवस्था में जहाँ आवश्यक वस्तुों की कीमतें समय–समय पर बढ़ती जाती हैं, वहीं सीमित आय उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक बन जाती है।

''एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में व्याप्त महंगाई का बोझ सबसे अधिक महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। आज की आकाश छूती मँहगाई ने जहाँ श्रमिक परिवारों को ऋण ग्रस्त बना दिया है, वही महिला श्रमिकों को अपने गहने, बर्तन आदि गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक श्रमिक स्त्री दिन के पूरे काम का दो–तिहाई काम प्रतिदिन करती है। वह मजदूरी करने जाती है, घर की व्यवस्था देखती है, भोजन तैयार करती है, इतना सब होते हुए भी उसकी चिन्ता किसी को भी नहीं होती और उसे अनेक समस्याओं से आए दिन जूझना पड़ता है।''[7]

''हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण जनसंख्या भी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थन द्वितीय है। देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करता है। इन सब में बुरी तरह प्रभावित होती हैं, गरीब श्रमजीवी महिलाएँ जिनकी तकदीर में न तो घर का सुख है और न ही बच्चों की परवरिश। उनकी किस्मत में केवल मजदूरी ही है।''[8]

''नवीन आर्थिक संस्थाओं तथा औद्योगीकरण के फलस्वरूप महिलाओं में आर्थिक निर्भरता पनपी और वे घर की चार दीवारी से निकलकर बाह्य जगत से परिचित हुई है। यह धारणा है कि यदि नारी सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदार होगी तो पारिवारिक संगठन बिखर जाएगा, मूलतः विकृत अवधारणा है। नारी द्वारा अर्जित आय परिवाार की आर्थिक स्थिति में सहायक ही सिद्ध होगी, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। परिवार के स्तर में सुधार होना स्वाभाविक है। उत्तरोत्तर बढ़ती आवश्यकताओं, पारिवारिक जीवन स्तर हेतु न्यूनतम वित्तीय योगदान भी अपेक्षित है।''[9]

''सभी प्रकार के प्रयासों के पश्चात् भी भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होने के कारण जहाँ अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य, गलत सामाजिक और सांस्कृतिक रीति–रिवाज हैं, वहीं पर निर्णय लेने की शक्ति के अभाव और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी महिलाओं की इस दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है।''[10]

''आज महिला के हक में कई कानून है, संविधान ने भी उसको बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन महिला का आज भी शोषण होता है। जरूरत है महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की। आर्थक आत्मनिर्भरता के बिना नारी का मुक्त होना कठिन है, जब तक नारी स्वावलम्बन का मार्ग नहीं अपनाएगी, परतंत्र ही बनी रहेगी। स्वतंत्र होने के लिए अपने पैरों से चलना सीखना होगा।''[11]

''पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा लगभग 16.5 प्रतिशत है। इसमें भारत के श्रम बल का 93 प्रतिशत हिस्सा (आर्थिक सर्वेक्षण 2007–08) असंगठित क्षेत्र से आता है। इसमें से 20 प्रतिशत हिस्सा भारत में बीमार रहता है। इसका सीधा अर्थ है कि असंगठित क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ व्यापक हैं। दस्त, टी.बी.,सांस के रोग, कुपोषण जैसी बीमारियों का एक बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रों में हैं। अधिकतर बीमारियाँ आसपास के माहौल, दूषित जल व बचाव की अज्ञानता के कारण है।''[12]

पूर्व में किये गये शोध अध्ययन के निष्कर्षों से भी यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को वेतन संबंधी मामलों में भेद–भाव का शिकार होना पड़ता है। साथ ही वे प्रसूति संबंधी अवकाश, खराब कार्य परिथितियाँ, दुर्व्यवहार का भी शिकार होती हैं।

प्रस्तुत शोध विषय के अध्ययन में वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। विद्युत संयंत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों का अध्ययन किया गया है, जिससे समस्या के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्ष दोनों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान हो सके।

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य श्रमिक महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की विशिष्टताओं के विवेचन से संबंधित है, जिससे श्रमिक महिलाओं की जीवन शैली को स्पष्ट किया जा सके। अध्ययन समस्या को स्पष्ट करने के लिए प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के साथ–साथ द्वितीयक स्त्रोतों का भी अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों से संबंधित है, जिसमें अधिकांश उत्तरदाता निरक्षर या कम शिक्षित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार अनुसूची उपकरण तथ्य संकलन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर एक संरचित साक्षत्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है एवं यथा संभव अवलोकन प्रविधि का भी प्रयोग किया गया है जिससे कि उत्तदाताओं द्वारा दिए जाने वाले सूचनाओं की सत्यता का परीक्षण भी हो सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन कोरबा नगर के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों का समाजशास्त्रीय अध्ययन है, जो कि कोरबा जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्थित विद्युत संयंत्रों में कार्यरत हैं।

किसी भी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु आवश्यक सभी सुविधाएँ कोरबा जिले में स्थित है, जिसमें प्रमुख रूप से कच्चे माल

के रूप में कोयले की प्राप्ति, सस्ती जल आपूर्ति, परिवहन की सुविधा, अनुकूल जलवायु, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता है।

महिला श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विश्लेषण के अंतर्गत वेतन से संतुष्टि के संबंध में ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक 72 प्रतिशत उत्तरदाता वेतन से संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि इस अल्पाय से उनकी मूलभूत आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती। 28 प्रतिशत उत्तरदाता ही अपने वेतन से संतुष्ट हैं। इसका कारण बताते हुए वे कहते है कि वे अशिक्षित एवं कम शिक्षित हैं साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। इसलिए जो भी वेतन मिलता है, वह पर्याप्त है। महिला श्रमिकों के निवास स्तर का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि 77.7 प्रतिशत उत्तरदाता अपने स्वयं के मकानों में रहते हैं। स्वयं के मकान में रहने वालों में भी अधिकांश प्रतिशत कच्चे मकान में रहने वाले उत्तरदाताओं का है।

महत्वपूर्ण पारिवारिक मामलों के संबंध में ज्ञात हुआ कि वैवाहिक मामलों में सर्वाधिक 53 प्रतिशत उत्तरदाता सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जबकि अन्य महत्वपूर्ण मामलों जैसे वित्तीय प्रबंध, व्यवसाय, बच्चों की शिक्षा, नातेदारी नियमन में उत्तरदाताओं की भूमिका निष्क्रिय होती है।

अपने फैसले स्वयं लेने के संबंध में ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक 62 प्रतिशत उत्तरदाता को अपने फैसले स्वयं लेने का भी अधिकार नहीं है। उनसे जुड़े हुए फैसलों में उनके निकट संबंधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

घर से कार्य स्थल की दूरी के संबंध में ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक 66.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर व कार्यस्थल की दूरी 5 कि.मी. से कम है। अतः स्पष्ट है कि महिला श्रमिक अपने निवास स्थान के निकट ही कार्य करने को प्राथमिकता देते हैं। आवागमन में सुलभता इसका मुख्य कारण है, क्योंकि ये अपने निवास से कार्यस्थल तक पैदल ही आना–जाना करते हैं।

कैंटीन में उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता के संबंध में विश्लेषण से ज्ञात हुआ की 66.8 प्रतिशत उत्तरदाता भोजन की कीमत को अधिक मानते हैं। उनका कहना है कि उनके लिए भी भोजन की दर नियमित कर्मचारियों के समान ही है जो उचित नहीं है।

उद्योगरत महिला श्रमिकों की समस्याएँ व समाधान के अंतर्गत नियोक्ता (ठेकेदार) द्वारा श्रम सुविधाओं की ओर ध्यान देने के संबंध में ज्ञात हुआ कि 54 प्रतिशत उत्तरदाता नियोजक द्वारा सुविधाओं की ओर ध्यान न देने की बात कहते हैं।

स्वयं के अधिकारों का ज्ञान होने संबंधी विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अधिकांश 72 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं, जिन्हें स्वयं के अधिकारों का भी ज्ञान नहीं हैं। आज भी वे अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। जबकि 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपने अधिकारों का ज्ञान है।

प्रबंधन–श्रमिक के मध्य विवाद के कारणों का विशलेषण करने पर ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक 44.67 प्रतिशत विवाद मजदूरी की निम्न दर के कारण होते है। 24.67 प्रतिशत रोजगार की अनिश्चितता को विवाद का कारण मानते हैं। 18.33 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि विवाद का कारण कार्य की बुरी दशाएँ हैं।

उद्योगरत महिला श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक 57.7 प्रतिशत उत्तरदाता कहते है कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जाती है। जबकि 40.3 प्रतिशत उत्तरदाता स्वास्थ सुविधाए प्राप्त न होने की बात कहते हैं।

कार्यस्थल में प्राथमिक उपचार पेटी होने के संबंध में ज्ञात हुआ कि 57.3 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि उनके कार्यस्थल में प्राथमिक उपचार पेटी नहीं है। 42.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के कार्यस्थल में प्राथमिक उपचार पेटी है। उनमें भी अधिकांश उत्तरदाता कहते हैं कि उपलब्ध प्राथमिक उपचार पेटी में मेडिकल सामाग्री अपर्याप्त, घटिया स्तर की तथा कालातीत हो चुकी हैं।

सामान्यतः यह पाया जाता है कि श्रमिक वर्ग में नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस संबंध में उत्तरदाताओं से ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक 62.67 प्रतिशत उत्तरदाता नशीले पदार्थों जैसे गुडाखु, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, में से किसी न किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं।

प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के संबंध में ज्ञात हुआ कि 51 प्रतिशत उत्तरदाता किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित हैं। 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं में कोई भी गंभीर बीमारी नहीं पायी गई। प्रदूषण से होने वाले बीमारियों में सर्वाधिक उत्तरदाता जिनका प्रतिशत 38.56 है, वे श्वास रोग से ग्रसित हैं, क्योंकि ये उत्तरदाता विद्युत संयंत्र में कार्यरत हैं जहाँ राखड़, धुआँ, धूल से इनका लगातार संपर्क बना रहता है।

महिला श्रमिकों द्वारा मनोरंजनों के साधनों (पिकनिक, सिनेमा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण) के प्रयोग की अवधि के संबंध में स्पष्ट हुआ कि सर्वाधिक 35 प्रतिशत उत्तरदाता अपने मनोरंजन हेतु किसी भी मनोरंजन के साधनों का प्रयोग नहीं करते। 29.67 प्रतिशत उत्तरदाता महीने में एक बार, 24.33 प्रतिशत उत्तरदाता 15 दिनों में एक बार, 11 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो मनोरंजन के साधनों का प्रयोग सप्ताह में एक बार करते हैं।

संदर्भ :

(1) झा, राजेश कुमार : ''भारत निर्माता के प्रति'' सम्पादकीय लेख, योजना पत्रिका, अक्टूबर 2014, पृ. 5. ***(2)*** *सेतिया, सुभाष : ''असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की स्थिति'', योजना पत्रिका अक्टूबर 2014, पृ. –67.* ***(3)*** *मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ (2006) : ''भारतीय समाज व संस्कृति'' विवके प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, पृ.308.* ***(4)*** *गुप्ता, विश्वप्रकाश व मोहिनी (2001) : ''भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन'', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ.क्र. 139.* ***(5)*** *पाटकर, मेधा : ''क्यों न रोज हो महिला दिवस'', 8 मार्च 2016, पत्रिका समाचार पत्र।* ***(6)*** *सारस्वत ऋतु ''मातृत्व और नौकरी के बीच कश्मकश'', पत्रिका समाचार पत्र, 8 मार्च 2016.* ***(7)*** *''महिला श्रमिकों को उत्पादन कार्य का प्रत्यक्ष लाभ क्यों नहीं मिलता'' कुरूक्षेत्र पत्रिका, मई 2001, पृ.:42–43.* ***(8)*** *लोरेंस जास्मिन (2010) : महिला श्रमिकों की स्थिति 'समस्याएँ व समाधान', अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।* ***(9)*** *जैन, मंजू (1994) : 'कार्यशील महिलाएँ व सामाजिक परिवर्तन'', प्रिंटवेल प्रकाशन, जयपुर, पृ.–27.* ***(10)*** *चतुर्वेदी, अरूण एवं लोढ़ा, संजय (2005) : ''भारत में मानव अधिकार'', पंचशील प्रकाशन, जयपुर पृ. 63.* ***(11)*** *शर्मा, रमा व मिश्रा, एम.के. (2012) : ''भारतीय नारीः वर्तमान समस्याएँ एवं भावी समाधान'', अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृ. 45.* ***(12)*** *त्यागी अमित : ''असंगठित क्षेत्रः समस्याएँ एवं कानूनी उपचार, योजना पत्रिका'' अक्टूबर 2014, पृ. 61.*

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Sociology**
Since March 2002
Research Link - 154, Vol - XV (11), January - 2017, Page No. 92-94
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

वर्तमान में सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में बाल-अपराध का अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में वर्तमान में सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में बाल-अपराध का अध्ययन किया गया है। संवैधानिक नियम, देश व कानूनों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं तथा उनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य होता है, परंतु कई परिस्थितियों में कई कानूनी नियमों का पालन नागरिकों के हितों में न होकर अहितकर भी हो सकते हैं। जैसे बाल अपराधियों की सजा को कम करना कई परिस्थितियों में हितकर हो सकता है, परंतु जघन्य अपराधों में बाल-अपराधियों की सजा को कम करना पीड़ित के साथ अन्याय है। शोधपत्र में बाल अपराध के अध्ययन हेतु एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों को शामिल किया गया है। कुंजी शब्द : सामाजिक न्याय एवं बाल अपराध।

श्रीमती आरती भिमटे कांकरिया* एवं डॉ.सपना शर्मा सारस्वत्**

प्रस्तावना :

कानूनी धाराओं एवं नियमों के बिना राज्य के निर्माण की कल्पना भी संभव नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा ही समाज में होने वाले अपराधों को नियंत्रित किया जाता हैं। दण्ड एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज में आपराधिक कार्य करने वालों को कानून द्वारा सजा दी जाती है, जिससे समाज में अव्यवस्था न फैल सके।

भारतीय संविधान में कानूनों का निर्माण समाज के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है तथा हमारे कानून में यह ध्यान रखा गया है, कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय न हो, परंतु वर्तमान में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई है, इन समस्याओं में से एक समस्या है, बाल–अपराध। सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कानून होते हैं। इन कानूनों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, चाहे वह वयस्क हो या बालक। परंतु बालक या किशोर द्वारा अपराध किया जाता है, तो उसे बाल–अपराध कहा जाता है। इसकी आयु लगभग 7 से 16 के मध्य थी, किन्तु बाल आपराधिक न्याय (संरक्षण एवं देखभाल) कानून 2000 और 2006 में हुए बदलावों के अनुसार नाबालिग अपराधियों की उम्र 18 कर दी गई है। वे बालक जिनका व्यवहार विलक्षण होता है, प्रायः ऐसे बालकों को अपराधी बालक की श्रेणी में रखा गया है। भारत में बाल–अपराध बढ़ रहे है, क्योंकि हमारा कानून अपराधी को दण्ड देने के साथ उसका सुधार भी चाहता है, परंतु इस वजह से पीड़ितों को उचित न्याय नहीं मिल पाता।

शोध की आवश्यता एवं महत्व :

हमारे देश में कानूनों का निर्माण लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है, परंतु आज की परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों (एनसीआरबी) के आंकड़ों को देखे तो पता चलता है कि मौजूदा व्यवस्था अपराधों के लिए बने कानून काफी नहीं है। वर्ष 2011 में बालकों के नाम पर 25 हजार से भी अधिक आपराधिक वारदातें दर्ज हुई है। जिनमें बलात्कारों की संख्या सवार्धिक है। वर्ष 2000 में संशोधन करके बाल–अपराधियों की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है जिसे फिर से 16 किया जाना बहुत मुश्किल है।

पूर्व अध्ययन :

(A) Erina rud, Kris Vain Kiaveren के अनुसार, आधुनिक शिक्षा का युवाओं/बालकों के द्वारा गलत उपयोग अपराध हेतु भी किया जा रहा है।

(B) J. Derzon के अनुसार, पारिवारिक कारण जैसे टूटा परिवार, बिना अनुशासन, पारिवारिक तनाव, कलह, बच्चे को अपराधी बनाने के मुख्य कारण है।

(C) Petter Sommer के अनुसार, इंटरनेट संबंधी धोखाधड़ी ,कम्प्यूटर दुरूपयोग, मैलवेयर हैंकिंग, अश्लील एसएमएस, साइबर पीछा, डॉस जबरन वसूली, अश्लील प्रकाशन, एवं जाली आई डी बनाना आदि अपराध बच्चों द्वारा किए जा रहे हैं।

(D) Kairal Ronken ने यौन वास्तविकता का प्रकटीकरण, बच्चों में यौन व्यवहार, बच्चों में वेश्यावृत्ति, शराबी लिंक, ऑनलाइन शोषण, बाल संरक्षण इत्यादि मुद्दों पर अध्ययन किया है।

(E) Dr.Miekme Gure के अनुसार बालकों के द्वारा वित्तीय लेन–देन, यौन हमलावर, उत्पीड़न, व धमकी व्यवहार और वाणिज्यिक नुकसान इत्यादि कार्य साइबर अपराध के द्वारा किए गए।

(F) S. Eliason ने अपने भारत में किए तथा इनके अनुसार बच्चों के द्वारा हत्या, हत्या के प्रयास, आत्महत्या, इत्यादि अपराध किए गए।

**पी-एच.डी.शोध छात्रा, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)*
***शोध निर्देशिका, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

(G) Sara Aailan & Cairy Dailly ने अध्ययन में बताया है, पिता द्वारा परिवार में बाल–विकास संबंधी अहम् भूमिका न निभा पाने के कारण बच्चे शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना तथा गलत संगति सीख जाते हैं।

(H) Nina Burower ने अपना अध्ययन भारत में किया तथा बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के द्वारा बलात्कार तथा यौन अपराध किए गए।

(I) Ani Kartar ने अपने अध्ययन में बताया कि बच्चों के द्वारा हिंसक अपराध बहुत ही स्मार्ट तरीके से तथा नई तकनीकों के द्वारा किए गए।

समस्या कथन :

16 दिसम्बर दिल्ली में हुए जघन्य बलात्कार काण्ड के मुख्य आरोपी को बाल न्याय बोर्ड ने 28 जनवरी को स्कूल सटिर्फिकेट के आधार पर नाबालिग करार दिए जाने के कारण, उसे केवल 3 साल की ही सजा सुनाई गई, जबकि लोग उसे फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। सामूहिक बलात्कार काण्ड का यह वही आरोपी है, जिसने अपराध के पश्चात् लड़की के शरीर में रौड घुसाकर आँत बाहर निकाल दी थी।

ऐसे अपराधी को नाबालिग करार दिए जाने के बाद एक बार फिर बहस चल पड़ी है कि जघन्य वारदातों में भी बाल न्याय की कानूनी धाराएँ लगाना क्या पीड़ितों के साथ अन्याय नहीं है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, क्योंकि पिछले एक दशक में अपराध के मामले 170 फीसदी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में फीजियोंथेरेपी का प्रशिक्षण ले रही बलात्कार पीड़ित दिवंगत छात्रा के मामले में उभरे आक्रोश और आंदोलन के बाद सरकार पहली बार गंभीरता से सक्रिय हुई है।

बाल न्याय कानून की धारा 15 (जी) के अनुसार जुर्म साबित होने की स्थिति में वे बाल सुधार गृह ही जाएंगें और उन्हें जघन्य अपराधों में भी 3 साल से अधिक की सजा नहीं हो सकती। इसी कारण दिल्ली 16 दिसम्बर काण्ड का जघन्य अपराधी 18 दिसम्बर 2015 को रिहा कर दिया गया। लेकिन दिवंगत पीड़िता के पिता का कहना है कि,''मेरा पूरा परिवार चाहता है कि नाबालिक को सबसे पहले सजा हो, क्योंकि मेरी बेटी के साथ नाबालिक ने ही सबसे ज्यादा बर्बरता की, भले ही इसके लिए कानून में क्यों न संशोधन करना पड़े।''

उद्देश्य :

आज इंटरनेट, टीवी, मोबाइल ऐसे साधन हैं, जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनके जरिए बच्चों को ऐसे अश्लील दृश्य तथा चलचित्र देखने मिल जाते है, जो उनके देखने योग्य नहीं होते हैं। इसी कारण वे भी वयस्कों की तरह अपराधी बन जाते हैं तथा यदि वे बालक हैं, तो उनमें इतना जघन्य अपराध करने का साहस कहाँ से आया? देश में करीब 17 लाख किशोर अपराधी विभिन्न अपराधों के नामजद है, जबकि बाल सुधार गृहों की संख्या देश में मात्र 815 है। पिछले साल (2014–15) जिन प्रदेशों में बाल–अपराधों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई उनके आंकड़े निम्न हैं :

क्र	स्थान	अपराध	संख्या
1	राज्यस्थान	हत्या	71
		रेप	79
2	मध्यप्रदेश	हत्या	112
		रेप	271
3	उत्तरप्रदेश	हत्या	81
		रेप	146
	कुल		**760**

कुछ राज्यों में बाल–अपराध के आंकड़े

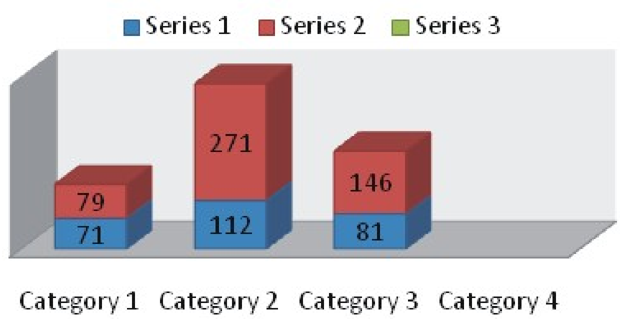

नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरों (एन.सी.आर.बी.) द्वारा सत्र् 2015 के अनुसार जिन प्रदेशों में सवार्धिक बाल–अपराध दर्ज किए गए हैं, उनका क्रम निम्न है, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश तथा राज्यस्थान है।

चूंकि बाल अपराधियों से संबंधित समस्त आंकड़ों को पुलिस द्वारा, अपराध सिद्ध जाने के पश्चात् नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए बाल–अपराधों से संबंधित अधिकतर आंकड़े या तो अनुमान पर आधारित होते हैं, या दर्ज किए गए आंकड़ों से कम होते हैं।

परिकल्पना :

(1) बाल–अपराधियों के सुधार की और तो प्रशासन का ध्यान जाता है, परंतु पीड़ितों को उचित न्याय मिलना भी कानून का ही कार्य है।

(2) बाल–अपराधों के अध्ययन के लिए मलिन बस्तियाँ या सभ्य समाज भी जिम्मेदार हो सकता है।

(3) यदि अपराध जघन्य तथा समाज में अराजकता फैलाने वाला है, तो कानूनों में क्यों बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

शोध प्रविधि :

इस अध्ययन में बाल–अपराध संबंधी शोध अध्ययन तथा द्वितीयक आंकड़ों का सहारा लिया गया हैं।

परिणाम एवं विश्लेषण :

बाल–अपराधिक गतिविधियाँ बढ़ने के बावजूद, किसी एक के कारण बाकि अपराधियों की सजा को भी बढ़ाया नहीं जा सकता, परंतु यदि जघन्य अपराध भी बालकों द्वारा किए किए जाते हैं, तो उन्हें भी वयस्कों की तरह कड़ी सजा मिलना चाहिए। कानूनी कार्यवाही होने में लगने वाले ज्यादा समय के कारण पीड़ित न्याय की आस लगाकर रहता है तथा अपराधी जमानत पर छूट जाते हैं।

परिणाम :

आज इंटरनेट के माध्यम से बालकों के द्वारा विभिन्न अपराध किए जा रहे हैं। जिनमें धोखाधड़ी अधिनियम (2006), कम्प्यूटर दुरूपयोग, मैलवेयर, हैंकिंग, उत्पीड़न, साइबर पीछा, यौन उद्देश्यों के लिये बच्चों का सौंदर्य, डाटा–थीफ (मालिकाना और गोपनीय जानकारी की चोरी करना), डॉस की जबरन वसूली

करना, अश्लील पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त करना, अश्लील एसएमएस करना, चोरी करना, कोपीराइट की चोरी, वीडियों इत्यादि की चोरी करना, ऐक्जाम पेपरों की चोरी करना, आतंकवादी घटनाओं की जानकारी निकालना, फिसिंग (पहचान की चोरी करना) जैसे– आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि चोरी करना, नकली मार्कशीटे बनवाना, इत्यादि अपराध शामिल किए गए।

सुझाव :

जघन्य अपराधों में जुर्म की परिस्थितियों को समझने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना चाहिए। कानूनों में सुधार की आवश्यकता तो अवश्य ही है, पीड़ित को न्याय दिलाना भी कानून का कार्य होना चाहिए। इसके लिए कानूनों में प्रावधान अवश्य होना ही चाहिए।

निष्कर्ष :

जिस समय कानून व्यवस्था का निर्माण किया गया था, शायद उस समय अपराधों की संख्या भी इतनी नहीं बढ़ी थी, जितनी की आज हो गयी है तथा जहाँ आज बाल–अपराधियों के सुधार की ओर ध्यान देकर उन्हे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पीड़ितों को भी उचित न्याय न मिल पाना उनके साथ भी अन्याय की श्रेणी में ही आता है। फिर हम कैसे कह सकते है कि हमारे देश का कानून सभी को समान न्याय दिला सकता है। और यदि नही दिला सकता, तो पीड़ित किसके पास न्याय की मांग करें?

संदर्भ :

(1) *karter Ani (2000),Peterns and smartness in youths crime.*

(2) *Derzon J. (2003), The role of the family in crime and delinqueney.*

(3) *Piquero A.R.,Farrington D.P.& Blumstein A.,(2007), Reasarch in Crime cairiar cambrige, Briten university press.*

(4) *Aaillan Sara & Dailly Cairy (2007),The effects of father involvement : An updated.*

(5) *Eliason S. (2009),Murder Suicuide: A review of literature of the recent literature.*

(6) *Sommer Petter (2009),Internate crime literature/ Sommer London School of economics.*

(7) *Burrower Nina (2012), A review of literature on rape & sexual assuault.*

(8) *Ronken kairal (2012), Child Sexual Assult : Facts and statistics.*

(9) *Dr. Gure Miekme (2013), Cyber crime: A review of evidence summary.*

(10) *Prakash Ajay (1 feb. 2013),To be hanged till death in serious rape cases,Retrieved from janjwar.com/2011-05-27-09.*

(11) *Krish ven klavern C.(2013), Education & youth crime.*

☸ ☸